

कार्यालय

मुख्य

अग्निशमन

अधिकारी,

बस्ती।

पत्रांक संख्या- 01/सी0एफ0 ओ0/ निरीक्षण/पेट्रोलियम पदार्थ अग्निसुरक्षा/2019

दिनांक- 14-11-2019

सेवा में,

जिला मजिस्ट्रेट,

बस्ती

विषय:- मेसर्स हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि0 द्वारा गाटा संख्या -381, ग्राम बड़हर कला, परगना अमोड़ा, तहसील हरैया (अयोध्या गोरखपुर मार्ग, एन एच 28) जनपद बस्ती में न्यू रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प व सी एन जी) स्थापित किये जाने हेतु आख्या के सम्बंध में।

संदर्भ:- प्रभारी अधिकारी (आयुध), कृते जिला मजिस्ट्रेट के पत्र संख्या 96(3)/आयुध लिपिक दिनांक 15.10.2019 के अनुपालन में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त संदर्भित विषय में न्यू रिटेल आउटलेट को स्थापित किये जाने वाले स्थल का अग्निसुरक्षा, पेट्रोलियम एक्ट 1934, पेट्रोलियम नियम 2002, ओ. आई. एस. डी.-225 तथा ओ. आई. एस. डी.-179 मानकों के अनुरूप स्थलीय निरीक्षण किया गया तो निरीक्षण के दौरान निम्न तथ्य पाये गये:-

1. उपरोक्त प्रस्तावित स्थल अयोध्या गोरखपुर मार्ग एन एच 28 पर स्थित है।
2. प्रस्तावित स्थल का क्षेत्रफल लगभग 2500 वर्गमीटर है।
3. प्रस्तावित स्थल के ऊपर से कोई हाई टेंसन लाइन नहीं गुजरी है।
4. प्रस्तावित स्थल के आस-पास किसी भी ज्वलनशील पदार्थ का भण्डारण नहीं पाया गया।
5. परिसर के चारो ओर 1.2 मीटर ऊँची व 0.60 मीटर चौड़ी ब्रिकवाल प्रस्तावित है।
6. परिसर में प्रवेश व निकास हेतु 15.00 मीटर चौड़ाई के दो गेट प्रस्तावित हैं।
7. पेट्रोलियम पदार्थ के भण्डारण एवं अन्य उपकरणों जहाँ अर्थिंग व्यवस्था की आवश्यकता हो तो मानकों के अनुसार होनी चाहिए।

प्रस्तावित व्यवस्था एवं अग्निशमन प्रणाली

1. यदि कैनोपी निर्माण किया जाये तो स्थाई संरचना के रूप में अनुमन्य होगा, जिसकी भूतल से निम्नतम ऊँचाई 06 मीटर से कम न हो।
2. न्यूनतम पार्किंग क्षेत्र 80 वर्ग मीटर से कम न हो।
3. विद्युत वायरिंग में एम0 सी0 बी0/ई0 एल0 सी0 बी0 का प्रयोग मानकों के अनुसार किया जाये।
4. स्टोरेज टैंक के लिए अलग अलग वेन्ट पाइप का प्राविधान किया जाये जो आपस में जूड़ी नहीं होनी चाहिये एवं ऊँचाई 04 मीटर होनी चाहिये तथा उसके चारो ओर 04 मीटर में कोई निर्माण कार्य नहीं होना चाहिये।
5. वेन्ट पाइप पेट्रोलियम नियम -2002 मानक के अनुरूप होनी चाहिए।
6. टैंक में तेल भरते समय टैंक, डिस्पेंसर व लारी के पास खुली आग का प्रयोग करना वर्जित है।
7. लारी से टैंक में तेल भरते समय प्रोपर अर्थिंग अति आवश्यक है।
8. बिजली के तारों के साथ ई0 एल0 सी0 बी0 (अर्थ लिकेज सर्किट ब्रेकर) व्यवस्था की जाये।
9. स्टोरेज टैंक के पास फायर बकेट बालू से भरी हुई 12 अदद मय स्टैंड रखी जायें।
10. प्रत्येक डिस्पेंसर के पास आई0 एस0 मार्का ए0 बी0 सी0 टाइप फायर एस्टिंगयूसर्स 2-2 अदद क्षमता 10 किग्री प्रत्येक के रखे जाए। समस्त अग्निशमन उपकरण सदैव कार्यशील दशा में होने चाहिए व उनका रख रखाव नियमानुसार किया जाना चाहिए।
11. सी0 एन0 जी0 कम्प्रेसर से सी0 एन0 जी0 डिस्पेंसिंग यूनिट की न्यूनतम दूरी 03 मीटर होना अनिवार्य है।
12. सी0 एन0 जी0 कम्प्रेसर से सी0 एन0 जी0 स्टोरेज कैस्केड की न्यूनतम दूरी 02 मीटर होना अनिवार्य है।
13. सी0 एन0 जी0 कम्प्रेसर से आउटर बाउन्ड्री की न्यूनतम दूरी 03 मीटर होना अनिवार्य है।
14. सी0 एन0 जी0 कम्प्रेसर से पेट्रोल/डीजल स्टोरेज टैंक की न्यूनतम दूरी 06 मीटर होना अनिवार्य है।

Sanjay Kumar

16/12/19
Sanjay Kumar
Sole Constituted Attorney
Petroleum Corporation Limited

15. सी0 एन0 जी0 कम्प्रेसर से पेट्रोल / डीजल वेंट पाइप की न्यूनतम दूरी 06 मीटर होना अनिवार्य है।
16. सी0 एन0 जी0 कम्प्रेसर के पास आई0 एस0 मार्का ए0 बी0 सी0 टाइप फायर एस्टिंग्यूसर्स 2-2 अदद क्षमता 10 किग्री प्रत्येक के रखे जाए, 75 किग्रा0 की 01 अदद की डी0 सी0 पी0 ट्राली होनी चाहिए।
17. कैस्केड तथा कैस्केड रिफिलिंग एरिया के पास आई0 एस0 मार्का ए0 बी0 सी0 टाइप फायर एस्टिंग्यूसर्स 1-1 अदद क्षमता 10 किग्री प्रत्येक के रखे जाए।
18. अन्डरग्राउण्ड टैंक के पास आई0 एस0 मार्का ए0 बी0 सी0 टाइप फायर एस्टिंग्यूसर्स 2-2 अदद क्षमता 10 किग्री प्रत्येक के रखे जाए, 75 किग्रा0 के 02 अदद की डी0 सी0 पी0 ट्राली एवं 50 लीटर फोम 02 अदद ट्राली होनी चाहिए।
19. इलेक्ट्रिक रूम / उपकरणों के पास आई0 एस0 मार्का कार्बन डाई आक्साइड फायर एस्टिंग्यूसर्स 02-02 अदद क्षमता 4.5 किग्रा0 के रखे जाये।
20. सी0 एन0 जी0 कैस्केड, सी0 एन0 जी0 कम्प्रेसर, सी0 एन0 जी0 डिस्पेंसर से पेट्रोल / डीजल टैंक, वेंट, पेट्रोल / डीजल डिस्पेंसर और दूसरे परिसर व आपस में एक दूसरे से सुरक्षा दूरी OISD 179 के मानकों के अनुसार होनी चाहिये।
21. डीजल जनरेटर सेट के पास आई0 एस0 मार्का कार्बन डाई आक्साइड फायर एस्टिंग्यूसर्स 02 अदद क्षमता 4.5 किग्रा0 के रखे जाये। डीजल जनरेटर सेट के स्टैक हाइट नियमानुसार होना चाहिए एवं टैंक के बेन्ट से उचित दूरी होनी चाहिए।
22. लाइसेंस एरिया में जक्सन बाक्स के साथ सभी लाइटें फ्लेम प्रूफ होनी चाहिए।
23. प्रत्येक डिस्पेंसर पर इमरजेंसी स्टाप सिस्टम होना चाहिए।
24. इमरजेंसी प्लान OISD 225 तथा OISD 179 के अनुसार होना चाहिये।
25. पेट्रोल पम्प पर कार्यरत सभी कर्मचारियों की ट्रेनिंग OISD 225 तथा OISD 179 के अनुसार होनी चाहिए।
26. ऑपरेटिंग प्रोसीजर के बोर्ड लगे होने चाहिए।
27. इमरजेंसी प्लान के बोर्ड लगे होने चाहिए।
28. इलेक्ट्रिकल रूम प्रापर वेंटिलेशन होना चाहिए।
29. “अग्निदुर्घटना की स्थिति में डायल 112 पर कॉल करें” बोर्ड पर सार्वजनिक रूप से अंकित होना चाहिए।
30. ग्राहकों व कर्मचारियों की जागरूकता के लिये निम्नांकित को बोर्ड पर लटकायें।

क्या करें	क्या न करें
1. मोबाइल फोन बंद रखें।	1. वाहन का इंजन तब तक स्टार्ट न रखें, जब तक वाहन के टैंक से नोजल व सी0 एन0 जी0 फिलिंग रिसेप्टिकल्स अलग न हो जाये।
2. तेल तथा सी0 एन0 जी0 भराते समय वाहन का इंजन बंद रखें।	2. धूम्रपान न करें।
3. सुनिश्चित करें कि डिस्पेंसर के पास अग्निशमन यंत्र रखे हैं।	3. खुली आग का प्रयोग न करें।
4. तेल / सी0 एन0 जी0 रिसाव तथा आग की स्थिति में डिस्पेंसर का इमरजेंसी स्टाप बटन दबायें।	4. लारी से तेल टैंक में भरते समय वाहनों में तेल व सी0 एन0 जी0 न भरें।

अतः उपरोक्त ढांचागत व्यवस्था व प्रस्तावित अग्निसुरक्षा व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए पेट्रोलियम एक्ट 1934, पेट्रोलियम नियम 2002, OISD 225 तथा OISD 179 में उल्लेखित नियमों का कड़ाई से पालन किये जाने की शर्त के साथ निरीक्षण आख्या संस्तुति सहित प्रेषित है। उपरोक्त अग्निसुरक्षा व्यवस्थाओं का पालन न किये जाने पर आख्या स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

Sanjay Kumar
16/12/19
Sanjay Kumar
Duly Constituted Attorney
Hindustan Petroleum Corporation Limited

16/12/19
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
मुख्य अग्नि शमन अधिकारी
जनपद-बरती